हरिराम/मंजीत

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
5/7/19	वादी हरिराम के वाणिज्यान के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश हुई। हरिराम के वाणिज्यान की ओर से श्री रामधन यादव एड. ने बहस पेश किया एवं प्रार्थना पत्र वाणिज्यान की ओर से पेश कर निवेदन किया कि वादी हरिराम फौत हो चुका है जिसके हम विधिक वारिसान है। इसलिए वाद को आगे नहीं चलाना चाहते विड्रा करना चाहते है। हरिराम वादी के वाणिज्यान को सुना। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आगे की पत्रावली लिया गया। वाणिज्यान की पहचान श्री रामधन एड. ने की। वादी हरिराम के वाणिज्यान वाद को नहीं चलाना चाहते इसलिए वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर दफ्तर से नाम की तथा वाद खारिज करार माना हो।

पिपाल

दिपाल

नियो

मजा

निरुपा

रोशनी देवी